राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

क्रमांक: स्टोर/राउन्यापी/2010-11/360 दिनांक: 7.2.2011

निविदा सूचना

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में वित्तीय वर्ष 2010-11 में 22 नग 'DELL' कम्पनी के Laptop with bag क्रय करने हेतु DELL कम्पनी/ अधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती है। Laptop का Configurations निम्न प्रकार रहेगा:-

CONFIGURATIONS OF DELL INSPIRON 15 LAPTOP

1.	Dell Inspiron 15 with laptop bag	Intel Core 15-460M Processor (2.53 Ghz, 3 MB Cache), Genuine windows . 7 Home Premium, 4GB DDR3 NVIDIA, 1 GB Dedicated Graphic, Blutooth, 1.3MP Camera, 6-in-1 Card Reader, HDMI 15.6" HD 720p WLED Display, MCAFee Security Centre-15 Months, 1 year Complete Cover service.

निविदा प्रपत्र विभागीय रोकडिया से निर्धारित शुल्क रुपए 100/- जमा करवाकर कार्यालय समय में दिनांक 21.2.2011 से 10.3.2011 तक प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदाएं दिनांक 10.3.2011 को प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन 1.00 बजे रजिस्ट्रार (प्रशासन) के कक्ष में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेंगी। निविदा का विस्तृत विवरण, शर्तें व Specification निविदा प्रपत्र में तथा हमारी Website: hcraj.nic.in पर दिनांक 21.2.2011 से उपलब्ध रहेगा।

निविदा प्राप्त करने, खोलने, स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, निविदा से संबंधित तिथियों में परिवर्तन करने का अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा।

डीआईपीआर/सी/1118/2011 मेरी जनगणना मेरा अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन)

निविदा प्रपत्र

संलग्नक " ख "

कार्यालय :- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर ।

1- विषय ....
के लिए निविदा (उन वस्तुओं का नाम लिखिए जिनके लिए निविदा पेश किये गये हों)

2- निविदा देने वाली फर्म का नाम एवं पूरा पता :-

3-पते पर भेजा गया :- ------------------------------------

4-संदर्भ --

5-निविदा का शुल्क ---------------रूपये -------- मद रसीद सं0 --------------------दिनांक --------------को जमा करा दिये गये है ।

6-हम -------------------------------------द्वारा जारी किये गये टेण्डर नोटिस संख्या ----------------दिनांक -----------वर्णित सभी, शर्तो को तथा संलग्न कागजो में दी गयी उक्त निविदा कोटि की अग्रिम शर्तों को भी (जिनके कि सभी पृष्ठ पर हमने उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार करने के लिये हस्ताक्षर किये है मानने के लिए बाध्य है ।

7-------------------------------------निविदा करने की दरे लिखित है ।

8-फर्म आदेश के प्राप्त होने की आदेश संख्या भी अंकित करें । अवधि के भीतर --------------------------------------भेज दिया जावेगा ।

9-उपरोक्त अंकित दरें -----------------समय के लिए ही मान्य है । पारस्परिक समझौते के जरिये समयावधि बढाई जा सकती है ।

10--------------------------------रूपये का ---------------के पत्र में ड्राफ्ट डिपोजिट रसीद संख्या -------------------दिनांक --------- एवं संबंधित परिमण्डल के आयकर अधिकारी का चुकती करने का प्रमाण पत्र एवं आकिंत बिक्री कर / वाणिज्य कर अधिकारी से बिक्री कर चुकती प्रमाण-पत्र उसके साथ संलग्न किये गये है ।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

संलग्न:-

1- --------------------------

2- --------------------------

3- --------------------------

<u>निविदा की शर्ते</u>

निविदा-दाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिये :-

1. निविदाऐं मुहर बंद लिफाफे में भेजी जानी हैं ।

2. निविदा प्रपत्र के साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, बिक्रीकर, पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये ।

3. निविदा प्रपत्र स्याही वाले पैन द्वारा भरा जावे या टंकित होना चाहिये ।

4. दरें गन्तव्य स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर तक एफ.ओ.आर. उद्वत की जानी चाहिये ।

5. दरे दिनांक 31.03.2011 तक के लिये दर संविदा हेतु दी जानी चाहिये ।

6. निविदाऐं खोली जाने की दिनांक से तीन माह तक या दिनांक 31.03.2011 तक जो भी पहले हो के लिये दरे वैध रहेगी । उसके बाद स्वत: ही निरस्त हो जावेगी ।

7. संविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेंगा ।

8. निविदा में मांगे गये "DELL" Company के Laptop इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न Configuration व Specification के अनुसार होने चाहिये ।

9. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता हैं, तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता हैं

10. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।

11. क्रयादेश आदेश जारी किया जाने के 15 दिवस में लेपटाप की सप्लाई की जानी होगी ।

12. यदि क्रेता अधिकारी लेपटॉप की खरीद नहीं करता हैं या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम क्रय करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति या क्लेम करने का हकदार नहीं होगा ।

13. निविदा के साथ नियमानुसार 2 प्रतिशत बयाना रू. 22,270/- का डी.डी. रजिस्ट्रार(प्रशासन),राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,जयपुर के नाम से देय होगा ।

14. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 5 प्रतिशत सिक्यूरिटि डिपोजिट जमा करानी होगी । बयाना राशि सिक्यूरिटी डिपोजिट में समायोजित कर ली जावेगी ।

15. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदिा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापिस लेता हैं, या रूपान्तरण करता है या विदित समय में करार निष्पादित नहीं करता हैं या निविदा स्वीकार करने के बाद सिक्यूरिटी राशि जमा नहीं कराता हैं या आदेशित सामग्री प्रदान करने में विफल रहता हैं तो बयाना राशि का समपहरण किया जा सकेगा ।

16. क्रेता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा ।

17. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी ।

18. क्रयादेश की निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदान नहीं करने पर परिसमापित नुकसानी(लिक्वीडिटी डेमेज) निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी ।

(क) निविदा सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिये क्रयादेश का : ढाई प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विदित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिये : पाँच प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक अवधि के लिये : साढ़े सात प्रतिशत

(घ) विदित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये : दस प्रतिशत

19. प्रदान में विलम्ब की अवधि की गणना के लिये आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा एवं परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि दस प्रतिशत होगी ।

20. दरे संलग्न निविदा प्रपत्र पर या अलग से प्रदान की जानी वाली सामग्री के सामने अंको एवं शब्दों में बिना काट छांट के स्पष्ट रूप से उल्लेखित की जानी चाहिये ।

21. लेपटॉप के विक्रेता को "DELL" के लेपटॉप निर्माता होने अथवा कम्पनी/ कम्पनियों के अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं ।

22. D G S & D अनुबंध हो जाने पर D G S & D दरों पर क्रय किये जाने का समिति द्वारा निर्णय का विकल्प खुला रहेगा ।

23. दरे एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्ष की वारन्टी के लिये अलग- अलग प्रस्तुत की जावेगी।